फर्द अहकाम
(नियम 26)

इजलास अदालत उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

[illegible] बनाम [illegible]

मिसल मुकदमा [illegible] नं. [illegible] सन् [illegible]

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/[illegible]	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे। पत्रावली दिनांक [illegible] को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, करेड़ा	
[illegible]	आज पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक [illegible] को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा	
20/5/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण में विपक्षीगण की तलबी हेतु सम्मन जरिये रजि. स्पी. दिनांक 01/5/25 को प्रेषित किये गये जिसे कानून में विधि समयावधि व एक माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने से तामील सम्यक रूप से माना जाना उचित है। प्रकरण में विपक्षीगण की तलबी के संबंध में ट्रैक रिपोर्ट डाक विभाग की पेश की गई जिसे शा० का० किया गया, विपक्षीगण को विधिवत कई मर्तबा आवाज लगाई किन्तु कोई उप० नहीं होने से विपक्षी संख्या 01 लगायत 14 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करने [signature] उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर करेड़ा	

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा) प्र० सं० 85/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सोनीदेवी बनाम रामचन्द्र वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का निवेदन किया, एकतरफा बहस सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया सोनी पुत्री हीरालाल एवं विपक्षी संख्या 1 लगायत 11 हमीर पुत्र रैका के वारिस एवं उत्तराधिकारी होने से पुश्तैनी कृषि भूमि पर प्रार्थी का जन्म से ही हक अधिकार प्राप्त है किन्तु विपक्षी संख्या 1 लगायत 11 के पूर्वजों ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर हीरालाल जो कि प्रार्थीया के पिता है जिसे लाऔलाद फौत बता कर विपक्षी संख्या 01 लगायत 11 के पिता क्रमशः रोडा, हरलाल, सुखा, डालू पिता हमीर के नाम दर्ज करा दिया जबकी हीरालाल की एक जायन्दा पुत्री है जिसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने दिया, सिर्फ हरलाल, सुखा, डालू, रोडा जो कि विपक्षी संख्या 1 लगायत 11 के पूर्वजों के नाम कर दी गई जबकी प्रार्थी का पुश्तैनी के आधार पर 1/5 हक मिलना निहित था, वर्तमान रिकॉर्ड में विपक्षी संख्या 01 लगायत 11 के नाम दर्ज रिकॉर्ड होने से विपक्षी संख्या 1 लगायत 11 प्रार्थीया के हक अधिकार की पुश्तैनी कृषि आराजियात को स्पष्ट हुई, स्वत विक्रय हस्तान्तरण करने पर आमादा होने से प्रार्थी आवेदक ने ग्राम चांडराम प०ह० चान्दराम त०आ०नि० नि०जा[illegible] के खाता संख्या 585 के आ०नं० 255/1, 256/1 कुल किता 02 रकबा 0.8347 हैक्टर भाग अ में तथा भाग ब के खाता संख्या 900 के आ०नं० 255, 255/5, 256, 605, कुल किता 04	

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा (भीलवाडा) हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज प्रकरण 85/2025 [illegible] सोहनीदेवी बनाम राधेश्याम वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

कुल रकबा 1.0117 हैक्टर भूमि, भाग सं. के खाता संख्या 617 के आ०नं. 450/1 किता 02 रकबा 0.1518 हैक्टर भूमि भाग 5 के खाता संख्या 737 के आ०नं. 255/3, 255/4 256/3, 256/4, 456 कुल किता 05 रकबा 0.9865 हैक्टर भूमि एव भाग 5 के खाता संख्या 199 मे वर्णित आ०नं. 255/2, 256/2, 2631/102, 2632/261, 605/1, कुल किता 05 रकबा 2.0993 हैक्टर भूमि पर मौके (व एवं) रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया प्रकरण मे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दुओ का विवेचन किया जाना न्याय संगत है।

1. प्रथम दृष्टया मामला - प्रकरण मे प्रार्थी ने जो दस्तावेजात पेश किये जिसके अनुसार उक्त भूमि जो कि प्रार्थी की पुश्तैनी कृषि आराजियात है जिसमे प्रार्थी का हक हिस्सा 1/5 है जिससे हक का स्वत्व का विवाद है जिस पर कब्जा प्रार्थी का साबित होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध होता है उक्त भूमि को अन्तरण आदि होने व प्रार्थी को बेदखल करने से प्रार्थी को क्षति हो सकती है प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे एव विपक्षीगण के विरुद्ध प्रमाणित होता है।

2. सुविधा संतुलन :- उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होना बताया गया जिससे सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध होता है। विपक्षीगण के विरुद्ध प्रमाणित होता है।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा) प्र० क्र० 8/2025 प्रा० क्र० सोहनी देवी वगैरह बनाम गणपत वगैरह

3. अपूरणीय:- चूंकि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित होने से कब्जा प्रार्थी का होने व प्रार्थी को बेदखल करने व वादग्रस्त आराजियात को खुर्द बुर्द करने पर प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी इस कारण से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। एवं विपक्षीगण के विरुद्ध प्रमाणित होता है। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य वाद विवाद एवं वाद बहुलता न बढ़े, सम्पत्ति को सुरक्षित सुरक्षित रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है इस कारण प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद के निस्तारण तक जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र धारा 212 आर टी एक्ट स्वीकार किया जाकर तामीलशुदा विपक्षीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विपक्षीगण सरहद चांदूराम पटवार हल्का चांदराम भू० अ० निरीक्षक निम्बाहेड़ा जाटान के खाता संख्या 585 के आराजी नम्बर 255/2, 256/2, किता 02 रकबा 0.8347 हैक्टर भूमी खाता संख्या 900 के आ० नं. 255, 255/5, 256, 605 किता 04 रकबा 1.0117 हैक्टर भूमी खाता संख्या 617 के आ० नं. 456/1 किता 01 रकबा 0.1518 हैक्टर भूमी खाता संख्या 737 के आ० नं. 255/3, 255/4, 256/3, 256/4, 456 किता 05 रकबा 0.9865 हैक्टर भूमी खाता संख्या 199 में वर्णित आराजी नम्बर 255/2, 256/2, 2631/102, 2632/261, 605/1, किता 05

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा (भीलवाड़ा) प्र.क्र. 85/2025 प्रार्थना हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज ओमप्रकाश वगै० वा/ रामलाल बलाई वगै०	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	रकबा 2.0993 हैक्टर भूमी से प्रार्थी को बेदखल नही करे न किसी अन्य से करावे प्रार्थी के उपयोग उपभोग मे बाधा कारित नही करे एवं उक्त वादग्रस्त आराजीयात को किसी अन्य को रहन विक्रय हस्तान्तरण नही करे. वादग्रस्त आराजियात के विक्रय/हस्तान्तरण संबंधी दस्तावेजात तैयार कर पंजीयन करावे तो विपक्षी सं. 13 इनका पंजीयन नही करे तथा विपक्षी सं. 12 किसी प्रकार का वादग्रस्त आराजीयात के संबंध मे राजस्व रिकोर्ड मे परिवर्तन नही करे तथा विपक्षीगण मौका व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। यह निर्णय आज दिनांक 20/5/2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	